

18/02/21

आलोक में नाकों को प्रकरणों में सुनवाई के निर्देश होने से नि... को प्रकरण सुनवाई में नहीं लिया जा सका।

आवेदिका द्वारा श्री राजेन्द्र पटेल अधि० उप०।

अनावेदक अनाहुत।

आवेदिका की ओर से विधिव ततलबाना अदा किया जाए तो अनावेदक को पूर्वानुसार तलब किया जाए।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि आवेदिका की ओर से "डिस्कलोजर ऑफ असेट एण्ड लाइबिलिटिस" की जानकारी पेश नहीं की गई है। अतः आगामी पेशी पर उक्त जानकारी भी आवश्यक रूप से पेश की जावे।

प्रकरण "डिस्कलोजर ऑफ असेट एण्ड लाइबिलिटिस" की जानकारी प्रस्तुति एवं अनावेदक की उपस्थिति हेतु दिनांक 26/02/21 को पेश हो।

(श्रीमती अंकिता शाही)
न्यायिक (श्रीमती अंकिता शाही)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर

पुनर्या:-

इसी प्रकरण पर श्री R.K. पटेल अधिवक्ता सहित आवेदिका नेट शर्मा उप०।

आवेदिका की ओर से उक्त पक्ष के मुख्य दाय्यालय के कागद आपसी सहमति से निमंत्रित होना प्रकट किया व अपर आवेदक पत्र पर कल नहीं देना प्रकट किया।

आवेदिका के बल न दिख जाते।
प्रान्ड आवेदक पत्र निराह किया जा रहा है।
प्रकरण पंजी में परिणाम अंकिता कर विधिवत अभिलेखणार में जमा हो।

18/02/21
(श्रीमती अंकिता शाही)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
देपालपुर (म.प्र.)



नेहा शर्मा
प्रस्तुत आवेदन पत्र को बल नहीं देना प्रकट किया।
नेहा शर्मा